डीजी परिपत्र संख्या - 5 /2016

जावीद अहमद
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः जनवरी 29 ,2016

प्रिय महोदय,

आप भली-भाँति अवगत है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला मुख्यालय पर पुलिस की गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु होता है, न केवल मिलने वाले आगन्तुकों एवं पीड़ितों अपितु पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों, प्रशासनिक कार्यो, लेखा सम्बन्धी कार्यों एवं न्यायालय से सम्बन्धित कार्य जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य भी पुलिस कार्यालय से ही सम्पादित एवं निस्तारित होते हैं।

मेरे संज्ञान में आया है कि जनपद में नियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अपने जनपदीय पुलिस कार्यालय में जनसमस्याओं को सुनने तथा दैनिक कार्यों सम्बन्धी दायित्वों के निष्पादन हेतु कार्यालय में प्रायः नियमित रूप से उपस्थित ही नही होते हैं एवं मात्र कैम्प कार्यालय से ही कार्य संचालित करते हैं। यह कार्य-संस्कृति पुलिस जैसे जनसेवा वाले एवं अनुशासित बल के लिए नितान्त अनुपयोगी है।

जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अपने कार्यालय में नियमित रूप से कुछ समय के लिए न बैठने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा यह निर्देश दिया जाना अपरिहार्य हो गया है कि **आप सभी प्रातः 1000 बजे से 1200 बजे के मध्य** जनता से मिलने, उनकी समस्याओं **को सुनने एवं दैनिक शासकीय कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु पुलिस कार्यालय में उपस्थित** रहना सुनिश्चित करेंगें। जनपद में कानून व्यवस्था सम्बन्धी अपरिहार्यताओं, अवकाश पर होने अथवा तहसील दिवस आदि के अवसर को छोड़कर यथासम्भव उक्त निर्धारित अवधि में पुलिस कार्यालयों में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन आप स्वयं और आपके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और इसमें कोई ढिलाई नही बरती जायेगी। अनुपालन स्थिति की समीक्षा मेरे मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और स्वयं मेरे द्वारा आकस्मिक रूप से की जाती रहेगी।

भवदीय

29.1.16.

(जावीद अहमद)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2 अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3 समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4 समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।